

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/
निमित्त,

4549

दिनांक : 21.09.2020

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

विषय :-Navnera Barrage across River Kalisindh near village Abra Tehsil Digod Distt. Kota (Raj)
under Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) Phase-I (A)
(Proposal No. FP/RJ/IRRIG/35905/2018)

संदर्भ :-ऑनलाईन ई0डी0एस0 F 14 ()2020/TRANS/FCA/PCCF/EDS-5 Dated 27.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई0डी0एस0दिनांक 29.06.202 की पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक बारां ने पत्रांक 8567 दिनांक 03.09.2020 एवं उप वन संरक्षक कोटा ने पत्रांक 7805 दिनांक 21.09.2020 से कार्यालय में प्रस्तुत की है जो कि निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	EDS	Reply
1	Gagette notification copies are not given in online proposl and in hard copy of the proposal for Baran division.	उप वन संरक्षक बारां ने अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण में प्रभावित होने वाली वनभूमि अवर्गीकृत वनक्षेत्र है, जो हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना एवं परवन वृहद सिंचाई परियोजना के बदले प्राप्त गैर वनभूमि है। परवन वृहद सिंचाई परियोजना में मिली गैर वनभूमि के प्रस्ताव उप वन संरक्षक बारां द्वारा पत्रांक 9148 दिनांक 08.08.2016 से उच्च कार्यालय को प्रेषित किये जा चुके हैं एवं हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बदले मिली गैर वनभूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण नहीं होने से नोटिफिकेशन के प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये जा सके नामान्तरण हेतु उप वन संरक्षक बारां ने पत्रांक 4137-39 दिनांक 07.05.2020 जिला कलेक्टर बारां को लिखा गया है। भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण पश्चात नोटिफिकेशन के प्रस्ताव भिजवाये जायेंगे। (प्रति संलग्न)
2	Calculation of amount of NPV in words for Kota division is incorrect. No Changes are made by DCF Kota.	निर्देशानुसार उप वन संरक्षक कोटा ने NPV की केलकुलेश राशि का शब्दों में संशोधन कर संशोधित गणना रिपोर्ट पार्ट-11 में अपलोड कर, हार्डकॉपी कार्यालय में प्रस्तुत की है, जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित है।
3	CA Scheme given for NFL and DFL lands by Kota division are in much higher side and not justified. These should be rectified as per prevailing models. CCF reply is not acceptable. For both the divisions, these calculations should be rational.	निर्देशानुसार उप वन संरक्षक कोटा द्वारा पत्रांक 7805 दिनांक 21.09.2020 से संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम कार्यालय में प्रस्तुत की है, जिसकी प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार पालना रिपोर्ट।

भवदीय

(मनोज कुमारशर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/

दिनांक :

- प्रतिलिपि उप वन संरक्षक कोटा/बारां को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
- प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2020-21 / 4367 दिनांक 31/08/2020
निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय: -Navnera Barrage across River kalisindh near village Abra Tehsil
Digod Distt Kota (Rajasthan) under Estern scheme in Rajasthan
Canal project (ERCP) Phase-1(A)

Proposal Name:- FP/RJ/IRRIG/35905/2018 (119.409 ha.)

सन्दर्भ:-प्रधान मुख्य वन संरक्षक,हॉफ, राजस्थान जयपुर Online EDS Date 27.08.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान,जयपुर द्वारा जारी EDS दिनांक 27.08.2020 की निम्न बिन्दुओं की पालना कर अग्रिम कार्यावाही हेतु प्रेषित है-

S.N	EDS Date 27.08.2020	Replay EDS
1	Gagette notification copies are not given in online proposal and in hard copy of the proposal for BARAN Division.	उक्त प्रकरण में प्रभावित होने वाली वन भूमि अवर्गीकृत वनक्षेत्र है जो हथियादेह मध्यम सिचाई परियोजना एवं परवन वृहद सिचाई परियोजना के बदले प्राप्त गैर वन भूमि है परवन वृहद सिचाई परियोजना में मिली गैर वन भूमि के प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 9148 दिनांक 08.08.2016 से उच्च कार्यालय को प्रेषित किये जा चुके हैं एवं हथियादेह मध्यम सिचाई परियोजना के बदले मिली गैर वन भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण नहीं होने से नोटिफिकेशन के प्रस्ताव प प्रेषित नहीं किये जा सके नामान्तरण हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4137-39 दिनांक 07.05.2020 से जिला कलक्टर बारां को लिखा गया है। भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरण पश्चात नोटिफिकेशन के प्रस्ताव भिजवाये जायेंगे
2	Calculation of amount of NPV in words for KOTA division is incorrect.	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
3	CA scheme given for NFL and DFL lands by KOTA division are in higher side and not justified .these should be rectified as pr prevailing models.	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।



भवदीय
(राजीव कपूर)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक एफ () एफ.सी.ए./उवस/20-21/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
- 2 अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड कोटा।

दिनांक :-

(राजीव कपूर)
उप वन संरक्षक
बारां

FCH
21.9.2020
॥ कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा (राज.) ॥

(Nayapura: Civil Lines Kota Tel / Fax No. 0744-2322747 Email ID-dcf.kota.forest@Rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ ()उवसं/तक./ 2020 /

7805

दिनांक: 21-9-2020

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

विषय :-नौनेरा बैराज के डूब क्षेत्र में आ रही वनभूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में।

Proposal No-FP/RJ/IRRIG/35905/2018

संदर्भ :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0जयपुर का पत्रांक F14()2020/ TRANS/
FCA/PCCF/EDS-5 दिनांक 27.08.2020

महोदय,

विषयान्तर्गत निवदेन है कि, नौनेरा बैराज में डूब क्षेत्र में आ रही वनभूमि 580.938 हे0 के आलोच्य प्रस्ताव के अन्तर्गत विभागीय औपचारिकताओं की पूर्तियां करने के उपरांत दिनांक 08.06.2020 को पार्ट-II की पूर्तियां कर, ईमेल द्वारा अग्रेषित कर दिया गया था। दिनांक 27.08.2020 को प्राप्त EDS के अनुसार पूर्ति कर दिनांक 19.09.2020 को ऑन लाईन कर दिया गया है।

संलग्न-संशोधित CA Scheme-5 सेट

भवदीय

उप वन संरक्षक
कोटा।

दिनांक:

क्रमांक:-एफ ()उवसं/तक./ 2020 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडेल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।

उप वन संरक्षक
कोटा।